247

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0 क0 विविध —एक/16 विविध- 9203-I/16

रामप्रसाद ——— आवेदक
निवासी - ग्राम गाढ़ई थाना ... व जिला सागर म0प्र0

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन ——— अनावेदक

भूल—सुधार वावत् आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32, म0प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959

श्रीमान महोदय,

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है कि :—

1— यह कि, श्रीमान न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 3024—एक/16 में दिनांक 05.09.2016 को आदेश पारित किया गया है, जिसमें भूलवश टंकण की त्रुटि से पृष्ठ कमांक—1 के पैराग्राफ—2 के लाइन नम्बर—2 में अनुविभागीय अधिकारी जिला सागर का प्रकरण कमांक 1617/बी—121/2015—16 के स्थान पर त्रुटिवश प्रकरण कमांक 1616/बी—121/2015—16 टंकित हो गया है।

2— यह कि, आदेश के पृष्ठ कमांक—2 के ऊपर से लाइन नम्बर—8 में 22—11—1996 के स्थान पर **22—11—1966** त्रुटिवश टंकित हो गया है।

अतः मान0 न्यायालय से प्रार्थना है कि उक्त आदेश के पृष्ठ कमांक—1 के पैराग्राफ—2 के लाइन नम्बर—2 में अनुविभागीय अधिकारी जिला सागर का प्रकरण कमांक 1616/बी—121/2015—16 के स्थान पर प्रकरण कमांक 1617/बी—121/2015—16 टंकित किया जावे एवं आदेश के पृष्ठ कमांक—2 के ऊपर से लाइन नम्बर—8 में 22—11—1966 के स्थान पर **22—11—1996** टंकित किये जाने की कृपा की जावे।

इति दिनांक 18/10/16

स्थान— ग्वालियर

द्वारा अभिभाषक
R.V.S.
रजनी वशिष्ठ शर्मा
एडवोकेट

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 9203–एक/16 जिला –टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.10.16	आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। उनके द्वारा भूल सुधार आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रस्तुत किया। उनके द्वारा तर्क में बताया गया है राजस्व मण्डल के प्रकरण क्रमांक 3024–एक/16 में पारित आदेश दिनांक 05.09.16 को आदेश पारित किया गया है । उनके द्वारा अपने तर्क में बताया गया है कि आदेश में पृष्ठ क्रमांक–1 के पैराग्राफ –2 के लाईन नम्बर 2 में अनुविभागीय अधिकारी सागर का प्रकरण क्रमांक 1617/बी–121/2015–16 के स्थान पर भूलवश प्रकरण क्रमांक 1616/बी–121/2015–16 टंकित हो गया है। इसी प्रकार पृष्ठ क्रमांक 2 के ऊपर से लाईन न0 8 में दिनांक 22.11.1996 के स्थान पर 22.11.1966 टकिंत हो गया है । अतः उनके द्वारा भूलसुधार सही करने का अनुरोध किया है। 2– आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश में पृष्ठ क्रमांक–1 के पैराग्राफ –2 के लाईन नम्बर 2 में अनुविभागीय अधिकारी सागर का प्रकरण क्रमांक 1616/बी–121/2015–16 के स्थान प्रकरण क्रमांक 1617/बी–121/2015–16 पढ़ा जावे। इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 22.11.1966 के स्थान पर 22.11.1996 पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी। सदस्य	